

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 69/2024

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. टोमाराम पुत्र प्रहलादराम 2. जयराम पुत्र प्रहलादराम 3. मेतीदेवी पत्नि प्रहलादराम जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासी चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।	1. शारदादेवी पत्नि मिसराराम 2. इन्द्रादेवी पुत्री मिसराराम जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासी चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा। 3. तहसीलदार सिणधरी।
---	---

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—

- श्री अर्जुनराम प्रजापत, अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित।
- प्रतिवादी सं. 3 पैरोकार उपस्थित, शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक— 28.08.2025

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि मौजा— खारा महेचान पटवार हल्का चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी के खेत खसरा नं. 619 रकबा 4.3767 हैक्टेयर व खेत खसरा सं. 683 रकबा 1.0355 हैक्टेयर के संबंध में प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 07.12.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। जिसे वादीगण अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा— खारा महेचान पटवार हल्का चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी के खेत खसरा नं. 619 रकबा 4.3767 हैक्टेयर व

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी



क्षेत्र खसरा सं. 683 रकबा 1.0355 हैक्टियर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

कं सं	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टियर	किस्म	लगान	बरंग
1.	टोमाराम 85/223 जयराम 85/223 पि. प्रहलादराम मेतीदेवी पत्नि प्रहलादराम 53/223 जाति कुम्हार सा. चाडो की ढाणी खातेदार।	खारा महेचान	619	2.5888	बा.सो	0.15	हरा
			683	1.0193	बा.सो	0.06	
			योग	3.6081	बा.सो	0.21	
2.	शारदादेवी पत्नि मिसराराम 1/2 इन्द्रादेवी पुत्री मिसराराम 1/2 जाति कुम्हार सा. चाडो की ढाणी खातेदार।	खारा महेचान	619	1.7879	बा.सो	0.11	लाल
			683	0.0162	बा.सो	0.00	
			योग	1.8041	बा.सो	0.11	

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरगीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी